

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 21.05.2026

मुकदमा नम्बर 27 / 2026  
ऑनलाईन नम्बर 2026 / 56

मदनलाल पुत्र हीराराम जाति नाई निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।  
-वादी-

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ।

-प्रतिवादी-

-उपस्थिति:-

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

## वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से वादपत्र निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि वादी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 753/353 तादादी 1.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 757/437 तादादी 1.4800 हैक्टेयर रोही जखासर में स्थित है जिसमें वादी का नाम मदनलाल की जगह मलूराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम मदनलाल था वादी का नाम बिना जांच किये ही वादी का नाम मलूराम लिख दिया जबकि वादी का नाम मदनलाल दर्ज होना चाहिए था। उक्त खेतों पर वादी का कब्जा-काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी से पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नहीं होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज मदनलाल नाम से बने हुए हैं जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता की विरास्त की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मदनलाल की जगह मलूराम दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती हैं एवं वादी अपने खेत पर केंसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वंचित है। वादी अपने के पहचान के सबूत में मदनलाल होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम मदनलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केंसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी का नाम मलूराम दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

स्टेट के विरुद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टेट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा में स्टेट के विरुद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं मागा गया है स्टेट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टेट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही जाखासर के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानों की कृपा करें।

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 753/353 तादादी 1.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 757/437 तादादी 1.4800 हैक्टेयर रोही जाखासर में मलूराम की जगह मदनलाल घोषित किया जावें।

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 753/353 तादादी 1.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 757/437 तादादी 1.4800 हैक्टेयर रोही जाखासर में मलूराम की जगह मदनलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

### निर्णय

खेत खसरा नम्बर 753/353 तादादी 1.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 757/437 तादादी 1.4800 हैक्टेयर रोही जाखासर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "मलूराम" के स्थान पर "मदन लाल" घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(शुभम शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी:  
श्रीडूंगरगढ (सिकानेर)